

प्रेषक,

के० के० सिन्हा,
प्रमुख सचिव एवं राहत आयुक्त,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1. प्रबन्ध निदेशक,
उत्तर प्रदेश राज्य हरकरधा निगम लि०
लखनऊ।
2. प्रबन्ध निदेशक
उत्तर प्रदेश निर्यात निगम लि०
लखनऊ।

राजस्व अनुभाग-10

लखनऊ: दिनांक: १। सितम्बर, 2010

विषय: वर्ष 2009-10 में ओलावृष्टि के पूरक यथा-अत्यधिक ठण्ड एवं शीतलहरी से उत्पन्न समस्याओं के दृष्टिगत आपूर्ति कम्बलों का भुगतान।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वर्ष 2009-10 में ओलावृष्टि के पूरक यथा-अत्यधिक ठण्ड एवं शीतलहर के प्रकोप से गृह विहीन/निराश्रित/असहाय तथा कमजोर वर्ग के असुरक्षित व्यक्तियों के बचाव व जरूरत मद लोगों को निःशुल्क कम्बल वितरण हेतु शासनादेश संख्या-57/1-10-2010-12(34)/2003, दिनांक 11 जनवरी, 2010 द्वारा प्रबन्ध निदेशक, उ०प्र० राज्य हरकरधा निगम, लखनऊ को झाँसी, इलाहाबाद, वाराणसी, गोरखपुर, लखनऊ, फैजाबाद, चित्रकूटधाम, मिर्जापुर, आजमगढ़, बस्ती, देवीपाटन मण्डल तथा प्रबन्ध निदेशक, उ०प्र० निर्यात निगम लि० लखनऊ को मेरठ, आगरा, अलीगढ़, बरेली, सहारनपुर, मुरादाबाद एवं कानपुर मण्डल में निर्धारित मानको के अनुरूप कम्बल की आपूर्ति जनपद मुख्यालय पर करने के निर्देश दिये गये थे।

2. इस सम्बन्ध में निगम द्वारा प्रेषित पत्रों के क्रम में शासन द्वारा सम्यक विचारोंपरान्त लिए गए निर्णय के अनुसार उ०प्र० राज्य हरकरधा निगम लि० लखनऊ को रू० 2,42,46,250/- (रूपये दो करोड़ बयालिस लाख छियालिस हजार दौ सौ पचास मात्र) एवं उ०प्र० निर्यात निगम लि० लखनऊ को रू० 1,71,06,250/- (रूपये एक करोड़ इक्कहत्तर लाख छः हजार दो सौ पचास मात्र) इस प्रकार कुल धनराशि रू० 4,13,52,500/- (रूपये चार करोड़ तेरह लाख बावन हजार पाँच सौ मात्र) के भुगतान की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन प्रदान करते हैं :-

'उ०प्र० राज्य हरकरधा निगम लि०, लखनऊ एवं उ०प्र० निर्यात निगम लि०, लखनऊ को उक्त धनराशि का भुगतान इस शर्त के साथ किया जा रहा है कि सम्बन्धित प्रबन्ध निदेशक कम्बल आपूर्ति जनपदों के जिलाधिकारियों से मात्रा आदि से सम्बन्धित प्रमाण-पत्र प्राप्त कर सत्यापित विल/बाउचर के साथ तदनुसार उपभोग प्रमाण पत्र वित्तीय हस्त

पुस्तिका खण्ड-5 भाग-1 के प्रस्तर-369 एच के अधीन निर्धारित प्रारूप संख्या-42 आई में शासन को अबिलम्ब उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे।

3. उक्त पर होने वाले व्यय का वहन आपदा राहत निधि के बचत खाते में उपलब्ध धनराशि से किया जाएगा। शासन द्वारा स्वीकृति धनराशि में से यदि बचत संभव हो तो उन्हें दिनांक 31 मार्च, 2011 से पूर्व आपदा राहत निधि के नाम से बने बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से शासन को अनिवार्य रूप से समर्पित कर दिया जायेगा।

4. निर्धारित मानक के अनुरूप कम्बलों की आपूर्ति न किये जाने की शिकायत को दृष्टिगत रखते हुये शासन द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि उत्तर प्रदेश निर्यात निगम लि० लखनऊ द्वारा जनपद बिजनौर एवं ज्योतिबाफूलेनगर में आपूर्ति किये गये कम्बल की धनराशि क्रमशः रू० 7,43,750/- एवं रू० 4,46,250/- कुल रू० 11,90,000/- तथा उत्तर प्रदेश राज्य हथकरघा निगम लि० लखनऊ द्वारा जनपद इलाहाबाद, फतेहपुर, बाराबंकी, आजमगढ़ एवं श्रावस्ती में आपूर्ति किये गये कम्बल की धनराशि क्रमशः रू० 11,90,000/-, रू० 4,46,250/-, रू० 8,92,500/-, रू० 10,41,250/- एवं रू० 2,97,500/- कुल धनराशि रू० 38,67,500/- इस प्रकार दोनों फर्मों को देय धनराशि में से कुल रू० 50,57,500/- (रुपये पचास लाख सत्तावन हजार पाँच सौ मात्र) का भुगतान अग्रिम आदेश तक स्थगित रखा जायेगा।

भवदीये

(के०के० सिन्हा)

प्रमुख सचिव एवं राहत आयुक्त

संख्या 762 (1) / 1-10-2010-12(34) / 2003, तददिनांक

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. महालेखाकार (लेखा प्रथम) / (आडिट) प्रथम, उ० प्र० इलाहाबाद।
2. आयुक्त एवं सचिव, राजस्व परिषद, उ० प्र० लखनऊ।
3. वित्त व्यय नियंत्रण अनुभाग-5
4. ✓ वरिष्ठ वित्त एवं लेखाधिकारी / समीक्षाधिकारी (लेखा), राजस्व अनुभाग-10।
5. राहत आयुक्त संगठन।
6. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(के०के० सिन्हा)

प्रमुख सचिव एवं राहत आयुक्त